चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/1444
दिनांक : 15.6.2019

सेवा में,

सचिव,
हाई–टैक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी,
एन0एच0–24, गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 01.06.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित **बी0काम0** पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को **असिस्टेंट प्रोफेसर** पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :–

S.N. Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1- Ms. Priyanka singh	Asst.Prof.	M.Com. NET 67.8%	Dr. Sudhir Kumar (IInd.) D.N. College, Meerut Dr. Pradeep Garg M.M. College, Modinagar GZB
2- Ms. Jyoti Kumari	Asst. Prof.	M.Com. NET 71.7%	--------- do ---------
3- Ms. Ayushi Jain	Asst. Prof.	M.Com. NET 71.65%	--------- do ---------

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित **बी0काम0** पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को **असिस्टेंट प्रोफेसर** पद पर शासन/ यू0जी0सी0/ एन0सी0टी0ई0/बी0सी0आई0 / एम0सी0आई0 / एन0सी0आई0/ सी0सी0आई0एम0 /ए0आई0सी0टी0 के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे **असिस्टेंट प्रोफेसर** के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित **असिस्टेंट प्रोफेसर** के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सह0 कुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

CK 1 (435)

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/2032
दिनांक : 15.7.2019

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन **हाई-टेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, गाजियाबाद** को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर **बी0जे0एम0सी0** पाठ्यक्रम (एक सेक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन **दिनांक 01.07.2019 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता** की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0वी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 08.06.2019 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार **हाई-टेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, गाजियाबाद** को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर **बी0जे0एम0सी0** पाठ्यक्रम (एक सेक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन **दिनांक 01.07.2019 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता** की स्वीकृति उपरोक्त शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

/

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, हाई-टेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
4. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम वैबसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

15.7.19

कुलसचिव

AM2 (342)

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/1841
दिनांक : 13/7/2018

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या–975/79–वि–1–14–1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन **हाई–टेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, गाजियाबाद** को वाणिज्य एवं विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर **बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0** पाठ्यक्रम (दो–दो अतिरिक्त सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन **दिनांक 01.07.2018 से सम्बद्धता** की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा–प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 04.07.2018 के आलोक में आदेशानुसार **हाई–टेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, गाजियाबाद** को वाणिज्य एवं विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर **बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0** पाठ्यक्रम (दो–दो अतिरिक्त सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन **दिनांक 01.07.2018 से सम्बद्धता** की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, हाई–टेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, गाजियाबाद ।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ
4. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु

कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/1444
दिनांक : 15.6.2019

सेवा में,

सचिव,
हाई–टैक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी,
एन0एच0–24, गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 01.06.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित **बी0काम0** पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को **असिस्टेंट प्रोफेसर** पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :–

S.N. Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1- Ms. Priyanka singh	Asst.Prof.	M.Com. NET 67.8%	Dr. Sudhir Kumar (IInd.) D.N. College, Meerut Dr. Pradeep Garg M.M. College, Modinagar GZB
2- Ms. Jyoti Kumari	Asst. Prof.	M.Com. NET 71.7%	--------- do ---------
3- Ms. Ayushi Jain	Asst. Prof.	M.Com. NET 71.65%	--------- do ---------

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित **बी0काम0** पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को **असिस्टेंट प्रोफेसर** पद पर शासन/ यू0जी0सी0/ एन0सी0टी0ई0/बी0सी0आई0 / एम0सी0आई0 / एन0सी0आई0/ सी0सी0आई0एम0 /ए0आई0सी0टी0 के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे **असिस्टेंट प्रोफेसर** के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित **असिस्टेंट प्रोफेसर** के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सह0 कुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

CK 1 (435)

संख्या-3507/सत्तर-2-2008-2(144)/2006

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक: 04 दिसम्बर, 2008

विषयः-नवीन महाविद्यालय/संस्थान एवं पाठ्यक्रम/विषय की स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित आपके पत्रांकःसम्बद्धता/723, दिनांक 26-04-2006, पत्रांकःसम्बद्धता/1171, दिनांक 13-07-2006, पत्रांकःसम्बद्धता/676, दिनांक 21-12-2006, पत्रांकःसम्बद्धता/378, दिनांक 22 मई, 2007 एवं पत्रांकःसम्बद्धता/, दिनांक 15 जुलाई, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक् विचारोपरान्त हाईटैक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, दिल्ली-हापुड़ बाईपास रोड, गाजियाबाद को बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी है:-

(1) उक्त पाठ्यक्रम का संचालन राज्य सरकार एवं तत्पश्चात् विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा। सम्बद्धता प्राप्त किये बिना छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी।

(2) उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्थान शासनादेश संख्या-3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002, शासनादेश संख्या-3411/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 11 अक्टूबर, 2002, शासनादेश संख्या-193/सत्तर-2-2003-2(166)/2002, दिनांक 13 जनवरी, 2003, शासनादेश संख्या-585मु0मं0/सत्तर-2-2005-2(166)/2002, दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 एवं शासनादेश संख्या-743मु0मं0/सत्तर-2-2006-2(166)/2002, दिनांक 07 नवम्बर, 2006 तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताएँ एवं औपचारिकताएँ पूर्ण कर लेगी।

(3) उक्त संस्थान भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो शासन से माँग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्व की देनदारी राज्य सरकार की होगी।

(4) संस्थान की किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा।

..2/-

(5) राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्यय भार संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा एवं सम्बद्धता के समय इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।

(7) मानकानुसार आवश्यक भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकर खंतौनी की प्रति सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित कराकर अथवा भूमि किसी प्राधिकरण से क्रय किये जाने की स्थिति में लीजडीड की प्रमाणित प्रति सम्बद्धता के प्रस्ताव के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

(8) उक्त पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम/मोहल्ला-डासना, तहसील-गाजियाबाद, जनपद-गाजियाबाद में स्थित खसरा संख्या-766, 768 व 773 के कुल रकबा 5.57+9865 वर्ग मीटर भूमि में मानकानुसार निर्मित भवन में ही संचालित किया जायेगा। अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। उक्त भूमि को सम्बद्धता के प्रस्ताव के पूर्व महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा लिया जायेगा।

(9) ट्रस्ट/सोसाइटी एक प्रबन्ध समिति का गठन कर लेगा और उसके सदस्य परस्पर सम्बन्धी नहीं होंगे और भूमि महाविद्यालय के नाम विधितः अन्तरित कर दी जायेगी।

2- कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या-3507(1)/सत्तर-2-2008-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सचिव/प्रबन्धक, हाईटैक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, दिल्ली-हापुड़ बाईपास रोड, गाजियाबाद।
(2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
(4) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।